ISO 9001:2015 Certified Institution

*State Institute of Health & Family Welfare*

Jhalana Institutional Area,Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

क्रमांक :F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.Off./2023/ 6333-38 दिनांकः 10/7/25

**आदेश**

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के अन्तर्गत दिनांक 06.12.2024 को जारी अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थी श्री विरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री मंगल राम यादवआईडी संख्या NO190567 ने अपने दिव्यांगता संबंधी तथ्यो को छुपाते हुये सामान्य श्रेणी में आवेदन कर नियुक्ति प्राप्त की गई जिनका मेडिकल परीक्षण किये जाने के समय दिव्यांगता की जानकारी होने पर संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय उप जिला चिकित्सालय बानसूर (कोटपुतली–बहरोड़) के पत्राक 67 दिनांक 13.01.2025 के क्रम में इनका मेडिकल बोर्ड से दिनांक 06.06.2025 को दिव्यांगता परीक्षण कराये जाने के फलस्वरूप इनकी दिव्यांगता बोथ लेग श्रेणी की पाई गई है। जिसे भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु उपयुक्त नही पाया गया है। उल्लेखनीय है कि नर्स श्रेणी–2 भर्ती 2018 में श्री विरेन्द्र सिंह यादव ने दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया था जिसमें भी इनकी पात्रता बोथ लेग श्रेणी की दिव्यांगता होने के कारण निरस्त की गई थी जिस पर श्री विरेन्द्र सिंह यादव द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 4818/2017 दायर की जिसे माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.03.2022 द्वारा खारिज कर दिया है।

इस प्रकार रिट याचिका संख्या 4818/2017 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के प्रभावी रहते हुये भी श्री विरेन्द्र सिंह द्वारा अपनी दिव्यांगता को छुपाते हुये नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में सामान्य श्रेणी में आवेदन कर नियुक्ति पाने का प्रयास किया गया जो कि अक्षम्य है। अतः भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.01.2021 के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर पद बोथ लेग दिव्यांगता श्रेणी हेतु उपयुक्त नही होने एवं मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के क्रम में श्री विरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री मंगल राम यादव आईडी संख्या NO190567 का दिनांक 06.12.2024 को जारी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की अंतिम चयन सूची में किया गया चयन निरस्त कर पात्रता निरस्त की जाती हैं।

निदेशक
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
जयपुर।

क्रमांक :F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.Off./2023/ 6333-38 दिनांकः 10/7/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को चयन निरस्त किये जाने उपरान्त की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
जयपुर।

Phone (O) 0141-2701938 Telefax(Dir) : 2706534
www.sihfwrajasthan.comE-mail: sihfwraj@ymail.com